1-3401228641161101[illegible]

संशोधित स्मृति - पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम ग्राम सेवा मंडल जोत हिमा होगा।

2. पंजीकृत कार्यालय : संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम जगुपुरा पो0 मौजमपुर सूरज, जिला बिजनौर, उ0प्र0 होगा जो आवश्यकतानुसार कहीं दूसरी जगह भी बदला जा सकेगा।

3. कार्यक्षेत्र : समस्त भारत वर्ष होगा।

4. उद्देश्य

1. समाज के पिछले हुए और उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।

2. असहाय बच्चों के शैक्षणिक भरण-पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना।

3. पिछड़े हुए युवाजनों के लिए निःशुल्क आरोग्य मन्दिर और बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय एवं मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करना।

4. निराश्रित महिलाओं और बच्चों के लिए नारी सुलभ उद्योगों काप्रशिक्षण एवं बाल-विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

5. जाति धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष वैमनस्य की भावना को दूर कर राष्ट्रीय एकता की भावना को दृढ़ करना।

6. ग्रामोदय, सर्वोदय पुस्तको, पत्रिका आदि निशुल्क संचालन करना एवं प्रचार करना।

7. देश एवं प्रदेश का समउद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उद्देश्य की पूर्ति करना।

8. सामूहिक कार्यो द्वारा सहयोगी भावनाओं का विकास करना, श्रमदान, ग्रामों की सफाई जैसे कार्य सामूहिक रूप से कराना तथा समाज कल्याण आदि गांधीवादी दृष्टिकोण का प्र..र व प्रसार कर उसमें अहिंसा, रचनात्मक कार्य तथ ग्राम निर्माण की प्रवृत्ति पैदा करना।

9. बढ़ती हुई बेरोज़गारी को दूर करने हेतु युवकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकृषित करना।

10. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत संयत्रों, गोबर गैस, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं विकास करना।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद उ०प्र० — सत्यमेव जयते

ग्राम सेवा मण्डल जोतहिमा पो० मौजमपुर सूरज (बिजनौर)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible] मुरादाबाद

11. समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग का उत्पादन तथा बिक्री करना, इसके तहत होने वाले मार्जिन को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं चैरेटेबिल कार्यो में खर्च करना।

12. समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना तथा निम्न स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना

13. छात्रों को वर्तमान प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान करना तथा उनमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत करना।

14. निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना तथा उनकी छात्रवृत्ति का प्रबन्ध करना।

15. छात्रों के ानवर्धन हेतु पुस्तकालय, वाचनालय आदि की स्थापना करना।

16. छात्रों को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना।

17. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

18. छात्रों के विकास हेतु खेलकूद का आयोजन करना।

19. ग्रामीण क्षेत्रों में फसल को उपयोगी बनाने हेतु उचित परामर्श देना।

20. ग्रामीण क्षेत्रों में फसल को उपयोगी बनाने हेतु उचित परामर्श देना।

21. ग्रामीण क्षेत्रों सफाई व निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था करना।

22. ग्रामीण बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

23. विकलांग एवं मंद बुद्धि युवक एवं युवतियों को कुटीर उद्योग जैसे सिलाई-कढ़ाई, बुनाई, पेटिंग एवं अन्य दस्तकारी उद्योगों का प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाना तथा उनको कृत्रिम अंग व उपकरण निःशुल्क प्रदान करना।

24. मुस्लिम छात्र एवं छात्रों को उर्दू, फारसी, अरबी व दीनी व दुनिया.वी तालीम की व्यवस्था करना तथा मदरसे का संचालन करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० मुरादाबाद
17/02/2017

25. सरकार द्वारा चलाये जा रहे पल्स पोलियो अभियान में सहयोग प्रदान करना।

26. वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों के लिए निःशुल्क खान-पान की व्यवस्था करना एवं आश्रय स्थल की व्यवस्था करना।

27. समाज में फैलने वाली भयंकर बीमारियों जैसे कैंसर, एड्स एवं अन्य जानलेवा बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा समय-समय पर सेमिनारों का आयोजन करके निःशुल्क दवायें वितरण करना।

28. संस्था द्वारा शिक्षा के विकास हेतु नॉट फॉर प्रोफिट के आधार पर कार्य किया जायेगा।

29. हिन्दुस्तानी मुसलमानों विशेषतः सुन्नी मुसलमानों के लिए अरबी-फारसी आदि के इस्लामी मदारिस (दीनी) स्थापित करना तथा देशवासियों के लिए प्राइमरी शिक्षा से डिग्री कॉलेज तक जैसे मुस्लिम [illegible] भारतीय संविधान के अनु० 30(1) में दिया है। अलावा इसके वर्तमान समय के अनुसार [illegible] विद्यालय में उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करना।

रिहाना खातून

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० मुरादाबाद
17/02/2017